

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 3 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.364(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2889/18/25]

- (2) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 528(अ), जो 30 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 89 के सीटीएच 890690 के अंतर्गत आने वाली आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (दो) का.आ.614(अ), जो 4 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डी-ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (तीन) का.आ.2848(अ), जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल को टूटे हुए चावल के निर्यात के बारे में है।
- (चार) का.आ.669(अ), जो दिनांक 7 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 87 के अंतर्गत आयात नीति शर्त संख्या 1(तीन) में संशोधन के बारे में है।
- (पाँच) का.आ.2847(अ), जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मानव कच्चे बाल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2890/18/25]

- (छह) का.आ.1085(अ), जो दिनांक 5 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के एचएस कोड 7110 के अंतर्गत कवर किए गए प्लेटिनम की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (सात) का.आ.2849(अ), जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (आठ) का.आ.1110(अ), जो दिनांक 10 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-II (निर्यात नीति), आईटीसी(एचएस) 2022 के एचएसएन के अंतर्गत निर्यात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (नौ) का.आ.1116(अ), जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात अवधि के विस्तार के बारे में है।
- (दस) का.आ.1117(अ), जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द ([एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेपर की फलियाँ]) [आईटीसी (एचएस) कोड 07133110] की "मुक्त" आयात नीति में विस्तार के बारे में है।।
- (यारह) का.आ.1251(अ), जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) में यूरिया [एकिज्म कोड 31021010] की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (बारह) का.आ.1340(अ), जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए आरओडीटीईपी को 5.2.2025 तक बढ़ाए जाने के बारे में है।

- (तेरह) का.आ.1562(अ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 2025-2026 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है।
- [Placed in Library, See No. LT 2891/18/25]
- (चौदह) का.आ.1578(अ), जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-20 के आईटीसी (एचएस) कोड 20081920 के अंतर्गत आने वाली भुनी हुई सुपारी की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ.1581(अ), जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रासंगिक एफएसएसएआई अधिसूचना के साथ अनुसूची-I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V की सूची "क" में खाद्य आयात प्रवेश बिंदुओं के रूप में दरांग भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को शामिल किए जाने के बारे में है।
- (सोलह) का.आ.1725(अ), जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-27 की आयात नीति शर्त संख्या 07(i) में संशोधन के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ.2347(अ), जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पाकिस्तान में उद्भूत या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के आयात या पारगमन पर प्रतिबंध - विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.20क के अंतःस्थापन के बारे में है।
- (अठारह) का.आ.1839(अ), जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले बुने हुए सिंथेटिक कपड़ों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ.2235(अ), जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बांग्लादेश से भारत में कतिपय वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध - आईटीसी (एचएस), 2022

अनुसूची 1 (आयात नीति) के अंतर्गत 'आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पण' के अंतर्गत एक नए पैरा 19 के अंतःस्थापन के बारे में है।

- (बीस) का.आ.2237(अ), जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वित्त अधिनियम, 2025 के अनुरूप आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड की आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ.2238(अ), जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा किए गए प्रस्तुत संशोधनों के साथ अनुसूची-II (निर्यात नीति), आईटीसी (एचएस) 2022 के सामंजस्य के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2892/18/25]

- (बाईस) का.आ. 2367(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 01.05.2025 से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची के संरेखण के बारे में है।
- (तेईस) का.आ. 2368(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 01.06.2025 से अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए आरओडीटीईपी की बहाली के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ. 2369(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एफटीपी-2023 के पैरा 4.41(5) में संशोधन के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ.2348(अ) जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 73 के अंतर्गत आने वाले रोलर चेन और उसके पुर्जों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (छब्बीस) का.आ.2350(अ) जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तैयार चमड़े, गीले नीले चमड़े, ईएल टैन्ड चमड़े और क्रस्ट चमड़े के निर्यात के लिए बंदरगाह संबंधी प्रतिबंधों और परीक्षण आवश्यकताओं को हटाने के बारे में है।

- (सत्ताईस) का.आ.2349(अ) जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची- । (आयात नीति) के अध्याय 83 के अंतर्गत आने वाले कैबिनेट हिंजेस की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है ।
- (अद्वाईस) का.आ.2449(अ) जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-। (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात अवधि में विस्तार के बारे में है ।
- (उनतीस) का.आ.2846(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो फार्मा ग्रेड चीनी के लिए निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है ।
- (तीस) का.आ.2777(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-। (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन के बारे में है ।
- (इकतीस) का.आ.2774(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-। (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत सीटीएच 2843 के अंतर्गत आने वाली मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है ।
- (बत्तीस) का.आ.2781(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.03(क)(i)(छ) में संशोधन के बारे में है तथा जिसमें अग्रिम प्राधिकार धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन इनपुट के आयात के लिए समर्थकारी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक से दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2893/18/25]

- (4) (एक) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2894/18/25]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ. 1101(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3723(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (2) का.आ.1102(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा किपिवत जैविक खाद और तरल किपिवत जैविक खाद के विनिर्माताओं को और इसमें उल्लिखित उनके उत्पादों को राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसानों को सीधे थोक में बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है ।
- (3) का.आ.3042(अ) जो दिनांक 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा किपिवत जैविक खाद और तरल किपिवत जैविक खाद के विनिर्माताओं को और इसमें उल्लिखित उनके उत्पादों को राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसानों को सीधे थोक में बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है ।
- (4) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (तीसरा) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1477(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 2895/18/25]

12.01 hrs

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

? (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) लद्धाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 की धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत लद्धाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण एवं भर्ती-अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करना (प्रक्रिया) नियम, 2025 जो दिनांक 3 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.363(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड), डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 20 अप्रैल, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.44 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय माध्यस्थम् अधिकरण (कर्मचारी) परिनियम, 2025, जो दिनांक 20 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आरआरयू/ आरईजीआई /परिनियम /माध्यस्थम् अधिकरण/2025/513(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 45ट की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) नियम, 2025, जो दिनांक 20 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप-निरीक्षक (कार्यकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2896/18/25]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2897/18/25]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2898/18/25]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) : महोदया, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 2899/18/25]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2900/18/25]

- (3) (एक) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (दो) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2901/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India (Hindi and English versions) Report No. 10 of 2025 - Union Government on Inventory Management in Steel Authority of India Limited - Ministry of Steel - (Performance Audit-Commercial) under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 2902/18/25]

- (2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the MECON Limited and the Ministry of Steel, for the year 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 2903/18/25]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS;
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI
PABITRA MARGHERITA):** Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manmade and Technical Textiles Export Promotion Council (formerly SRTEPC), Mumbai, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manmade and Technical Textiles Export Promotion Council, (formerly SRTEPC), Mumbai, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2904/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jute Products Development & Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jute Products Development & Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2023-2024.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2905/18/25]

- (5) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987:-
- (i) S.O.1830(E) published in Gazette of India dated 22nd April, 2025, directing that the Commodities specified in

Column 2 of the notification, mentioned therein, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in column 3 of the notification with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, up to 30th June, 2025.

- (ii) S.O.2902(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2025, making certain amendments in Notification No. S.O.1830(E) dated the 22nd April, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2906/18/25]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948:-

- (i) S.O.2016(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2025, nominating persons to serve as member, mentioned therein, of the Central Silk Board for a period of 3 years from the date of this notification, subject to Central Silk Board Act, 1948.
- (ii) S.O.2039(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2025, nominating Dr. K. Sreenivasulu, IAS, Director of Horticulture & Sericulture, Government of Andhra Pradesh to serve as member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification, subject to Central Silk Board Act, 1948.
- (iii) S.O.2625(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2025, nominating persons to serve as member, mentioned therein, of the Central Silk Board for a period of 3 years from the date of this notification, subject to Central Silk Board Act, 1948.

[Placed in Library, See No. LT 2907/18/25]

- (7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Jute Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (ii) Annual Report of the Jute Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) (i) Review by the Government of the working of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (ii) Annual Report of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (8) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2908/18/25]

12.02 hrs